

न्यायालय—दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—538 / 2012

संस्थित दिनांक—03.07.2012

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—परसवाड़ा,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

दिनेश पिता सुमरन गोंड, उम्र—22 वर्ष,
 निवासी—खरपड़िया, थाना परसवाड़ा
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक—21.03.2018 को घोषित)

1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—457, 380/511 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—20.06.2012 को सुबह 4:30 बजे सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय के पूर्व ग्राम परसवाड़ा में मुन्ना की चाय पान की नाश्ता दुकान थानातर्गत परसवाड़ा में चोरी के अपराध को कारित करने के लिए फरियादी मुन्नालाल की चाय—पान की नाश्ता दुकान में जो सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आती थी, उस दुकान का ताला तोड़कर प्रच्छन्न गृह भेदन कारित कर फरियादी मुन्नालाल की चाय पान की नाश्ता दुकान में जो संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आती थी, फरियादी के कब्जे से 420/—(चार सौ बीस रूपए) बिना उसकी सम्मति के बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की अथवा चोरी का प्रयत्न किया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मुन्नालाल ने थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट लिखाई थी कि वह ग्राम परसवाड़ा में चाय नाश्ता की दुकान चलाता है। दिनांक 20.06.2012 को सुबह लगभग 4:30 बजे फरियादी पेशाब करने उठा था, तब फरियादी की दुकान के ठेले का अभियुक्त दिनेश ने ताला तोड़कर फरियादी की दुकान के ठेले में रखे 420/—रूपए निकाल लिये थे। ठेले की खटपटाहट की आवाज आने पर फरियादी ने जाकर देखा था एवं अभियुक्त को पकड़ लिया था। फरियादी चोर—चोर चिल्लाने लगा था। फरियादी की पत्नी सविता एवं उसका पुत्र कुलदीप आ गए थे। अभियुक्त को पकड़कर रखा था। फरियादी उसके परिवार सहित अभियुक्त को पकड़कर थाना लेकर गया

था। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना परसवाड़ा ने अपराध क्रमांक-64/2012 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

3- अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा-1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया था, तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-20.06.2012 को सुबह 4:30 बजे सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय के पूर्व ग्राम परसवाड़ा में मुन्ना की चाय-पान की नाश्ता दुकान थानातर्गत परसवाड़ा में चोरी के अपराध को कारित करने के लिए फरियादी मुन्नालाल की चाय-पान की नाश्ता दुकान में जो सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आती थी, उस दुकान का ताला तोड़कर प्रच्छन्न गृह भेदन कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी मुन्नालाल की चाय-पान की नाश्ता दुकान में जो संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आती थी, फरियादी के कब्जे से 420/- (चार सौ बीस रूपए) बिना उसकी सम्मति के बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की अथवा चोरी का प्रयत्न किया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- मुन्नालाल अ.सा.2 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना चार-पांच वर्ष पूर्व की सुबह 4-5 बजे की ग्राम परसवाड़ा की है। साक्षी की परसवाड़ा में चाय, पान, नाश्ता की दुकान है। घटना के समय साक्षी उसकी पत्नी सविता एवं पुत्र कुलदीप, मीनाक्षी उनके घर में सो रहे थे। साक्षी को ठेला हिलने की आवाज आई थी, तब साक्षी उठकर बाहर देखने गया

था, तब साक्षी ने देखा था कि अभियुक्त दिनेश ठेले के सोकेस में घुसा हुआ था। अभियुक्त ने सोकेस में साक्षी के गल्ले में से चार-पांच सौ रुपये निकाल कर जेब में रख लिये थे। साक्षी ने उसकी पत्नी को आवाज लगाई थी, तब साक्षी की पत्नी एवं पुत्र आए थे, अभियुक्त को पकड़कर थाना ले गए थे। साक्षी ने अभियुक्त के विरुद्ध थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटनास्थल पर आई थी। साक्षी के समक्ष पुलिस ने पूछताछ कर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था। पुलिस ने साक्षी के पूछताछ कर कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षी के समक्ष पुलिस ने अभियुक्त से पैसे जप्त कर प्रदर्श पी-3 का जप्तीपंचनामा बनाया था, फिर अभियुक्त को गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-5 अनुसार गिरफ्तार किया था। प्रदर्श पी-3 के जप्तीपंचनामा, प्रदर्श पी-5 के गिरफ्तारी पंचनामा पर साक्षी के क्रमशः ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त को उसके पानटेला में रुकने के लिए कहा था। पान टेले से कोई सामान व रुपये चोरी नहीं हुए थे।

7— सविताबाई अ.सा.03 ने फरियादी मुन्नालाल अ.सा.02 की साक्ष्य के समान कथन कर बताया है कि फरियादी मुन्नालाल उसका पति है। साक्षी का पति पेशाब करने के लिए उठा था, तो उसे बाहर ठेला हिलने पर खटपट की आवाज आई थी, तब साक्षी के पति ने साक्षी को चोर-चोर की आवाज लगाई थी, तो साक्षी और उसका पुत्र कुलदीप वहां पर गए थे एवं अभियुक्त को वहीं पर पकड़ लिया था। ठेले का ताला टूटा हुआ था। घटना की रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस साक्षी के घर पर आई थी। साक्षी के बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके सामने ताला नहीं टूटा था। साक्षी को उसके पति ने घटना की बात बताई थी। साक्षी के सामने घटना नहीं हुई थी।

8— कुलदीप वगारे अ.सा.01 ने मुन्नालाल अ.सा.02 की साक्ष्य के समान कथन कर बताया है कि घटना दिनांक-20.06.2012 की उसकी दुकान की है। उसके पिता मुन्नालाल पेशाब करने के लिए उठे थे, उन्हें खटपट की आवाज आई थी, तब साक्षी के पिता चोर-चोर चिल्लाए थे, तब अभियुक्त को पकड़कर परसवाड़ा ले गए थे। अभियुक्त ने दुकान का ताला तोड़कर 420/-रुपये की चोरी कर अपनी जेब में रख लिये थे एवं बिस्कुट के पैकेट निकाल रहा था। पुलिस ने साक्षी के कथन लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि अभियुक्त रास्ते से जा रहा था, अभियुक्त को पकड़कर चोरी के अपराध में झूठा फंसा दिया है।

9— थानूलाल सोनेकर अ.सा.5 का कथन है कि दिनांक-20.06.2012 को पुलिस थाना परसवाड़ा में फरियादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अप.क्र.-64/12 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लिखाई थी। साक्षी ने फरियादी के बताए अनुसार रिपोर्ट लिखी थी। रिपोर्ट के बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

10— अजय भलावी प्रधान आरक्षक अ.सा.06 का कथन है कि उन्हें दिनांक-20.06.12 को अप.क्र.-64/11 की केस डायरी अनुसंधान के लिए प्राप्त हुई थी। साक्षी ने अनुसंधान के समय फरियादी के बताए अनुसार घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी-02 बनाया था। साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे। अभियुक्त के कब्जे से 100/-, 100/-रुपये के चार नोट तथा 20/-रुपये का एक नोट कुल 420/-रुपये प्रदर्श पी-3 के जप्तीपत्रक द्वारा जप्त किये थे। फरियादी द्वारा पेश करने पर एक लोहे की पट्टी, लंबाई 1.50 फीट, एक टूटा हुआ ताला गवाहों के समक्ष प्रदर्श पी-4 के जप्तीपत्रक द्वारा जप्त किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-5 बनाया था। प्रतिपरीक्षण ने साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-2 का नक्शामौका थाने में बैठकर बनाया था।

11— भूपेन्द्र अ.सा.04 ने उसके सामने मौकानक्शा बनाए जाने से इंकार किया है। प्रदर्श पी-3 के जप्तीपंचनामे में स्वयं का नाम साक्षी के रूप में अंकित होना बताया है। उसके सामने पुलिस ने कोई जप्ती नहीं की थी। पुलिस ने साक्षी के सामने मुन्नालाल से कोई जप्ती नहीं की थी एवं अभियुक्त को साक्षी के सामने गिरफ्तार नहीं किया था। साक्षी ने प्रदर्श पी-02 के नक्शामौका प्रदर्श पी-3, एवं प्रदर्श पी-4 के जप्तीपत्रक, प्रदर्श पी-5 के गिरफ्तारीपत्रक पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-02,03,04,05 के दस्तावेज पुलिस ने उसे पढ़कर नहीं सुनाए थे। उक्त दस्तावेजों पर पुलिस ने किस कारण हस्ताक्षर कराए थे, साक्षी को पता नहीं है। साक्षी ने प्रदर्श पी-02 के मौकानक्शा, प्रदर्श पी-3, एवं प्रदर्श पी-4 के जप्तीपत्रक, प्रदर्श पी-5 के गिरफ्तारीपत्रक के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे, तब वह कोरे थे। साक्षी ने पुलिसवालों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

12— किशोर कुमार अ.सा.07 का कहना है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता, फरियादी को जानता है। साक्षी फरियादी की होटल में चाय पीने जाता रहता है।

पुलिस ने साक्षी के समक्ष फरियादी मुन्नालाल से एक लोहे की पट्टी एक टूटा हुआ ताला, उसकी होटल से प्रदर्श पी-4 के जप्ती पंचनामा द्वारा जप्त किया था। साक्षी ने उसकी होटल पर ही प्रदर्श पी-4 के जप्तीपंचनामा के डी से डी भाग पर हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि ताला कहां से टूटा था, उसको पता नहीं है। पुलिसवालों ने कोरे कागज पर लिखापढ़ी कर ली थी। साक्षी चाय पीने गया था, तब पुलिसवालों ने साक्षी से हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, तब साक्षी ने हस्ताक्षर कर दिये थे। उस कागज पर क्या लिखा था, पुलिसवालों ने साक्षी को पढ़कर नहीं सुनाया था।

13— बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क में बताया है कि प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही प्रमाणित नहीं है। जप्ती पंचनामा के साक्षी भूपेन्द्र ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन ने खण्डन में तर्क किये हैं। उभयपक्ष की तर्कों पर विचार किया गया। प्रश्नाधीन प्रकरण की घटना रात्रि 4:30 बजे की है। घटना के फरियादी मुन्ना एवं उसके पुत्र कुलदीप एवं पत्नी सविता ने अभियुक्त को उनकी चाय-पान के ठेले से ताला तोड़कर चोरी करते हुए प्रत्यक्ष रूप से घटनास्थल पर ही अभियुक्त को पकड़ लिया था। अभियुक्त ने फरियादी की दुकान की चाय-पान के ठेले से पैसे निकालकर अपनी जेब में रख लिये थे। फरियादी, उसकी पत्नी एवं पुत्र ही अभियुक्त को पकड़कर थाने ले गए थे।

14— बचाव पक्ष की ओर से फरियादी मुन्ना अ.सा.02 पर विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में साक्षी की साक्ष्य का सारवान खण्डन नहीं हुआ है। फरियादी की साक्ष्य की पुष्टि उसके पुत्र कुलदीप अ.सा.01 की साक्ष्य से होती है। सविताबाई अ.सा.03 का दिनांक-19.12.17 को मुख्यपरीक्षण हुआ था। उक्त दिनांक को साक्षी का प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ था। साक्षी ने उसके मुख्यपरीक्षण में घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया था। उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण दिनांक-12.03.2018 को हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने उसकी साक्ष्य में मुख्यपरीक्षण के विपरीत कथन दिये थे, परंतु उक्त साक्षी का मुख्यपरीक्षण के दिन प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ था, बाद में प्रतिपरीक्षण हुआ है। इस कारण इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण की साक्ष्य से साक्षी के मुख्यपरीक्षण के कथन प्रभावित नहीं होते हैं। इस कारण सविताबाई अ.सा.03 की साक्ष्य से भी घटना का समर्थन होना माना जाता है।

15— भूपेन्द्र अ.सा.04 प्रदर्श पी-03 एवं 04 के जप्ती पंचनामा एवं प्रदर्श पी-05 के गिरफ्तारी पंचनामा का साक्षी है। उक्त साक्षी ने अभियुक्त से जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। किशोर कुमार अ.सा.07 प्रदर्श पी-07 के जप्तीपंचनामा का साक्षी है। उक्त साक्षी ने उसके मुख्यपरीक्षण में प्रदर्श पी-04 के जप्तीपंचनामा की कार्यवाही का समर्थन किया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में प्रदर्श पी-04 के जप्तीपंचनामा की कार्यवाही का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया है। फरियादी मुन्नालाल अ.सा.02 प्रदर्श पी-03 एवं 04 के जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-05 के गिरफ्तारी पंचनामा का साक्षी है। उक्त साक्षी ने प्रदर्श पी-03 एवं 04 के जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-05 के गिरफ्तारी पंचनामा की उसके सामने हुई कार्यवाही का पूर्ण रूप से समर्थन किया है।

16— अजय भलावी अ.सा.06 ने उसकी साक्ष्य से उनके अनुसंधान की पुष्टि की है। प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई स्थिति प्रकट नहीं की है कि अजय भलावी की अभियुक्त से कोई रंजिश थी। अभियुक्त ने अजय भलावी की उसके वरिष्ठ अधिकारी को कोई शिकायत की हो, उस रंजिश के आधार पर अजय भलावी ने अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया हो। अजय भलावी के अनुसंधान पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से प्रकरण में ऐसी कोई स्थिति प्रकट नहीं है कि अभियुक्त रात के समय फरियादी की दुकान में क्यों गया था एवं फरियादी की दुकान में क्या कर रहा था। जबकि फरियादी एवं उसकी पत्नी एवं पुत्र ने अभियुक्त को चोरी करते हुए स्वयं ही घटनास्थल पर एवं चोरी करने का प्रयास करते हुए पकड़ लिया था। फरियादी मुन्नालाल अ.सा.02, सविताबाई अ.सा.03, कुलदीप अ.सा.01 की साक्ष्य से अनुसंधान अधिकारी की कार्यवाही एवं अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य की पुष्टि होती है। फरियादी मुन्नालाल अ.सा.02 और सविताबाई अ.सा.03, कुलदीप अ.सा.01 की साक्ष्य से यह प्रमाणित माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी मुन्नालाल की चाय-पान नाश्ता की दुकान में चोरी कारित करने के लिए जो संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आती थी। उस दुकान का ताला तोड़कर प्रच्छन्न गृह भेदन कारित कर फरियादी के कब्जे की दुकान से 420/-रुपये बिना उसकी सहमति से बेईमानी से लेने के आशय से चोरी कारित की एवं चोरी करने का प्रयत्न किया।

17— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे भा.द.वि. की धारा-457, 380/511 का आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा-457, 380/511 के

आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

18— अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर, जिला—बालाघाट म.प्र.

पश्चात्—

// दंडाज्ञा //

19— अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा-4 के उपबंधों का लाभ दिये जाने पर विचार किया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। यद्यपि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रमाणित नहीं है, किन्तु समाज में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को उक्त उपबंधों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है।

20— दंड के प्रश्न पर अभियुक्त के अधिवक्ता श्री आर.आर. पटले को सुना गया। उनका कहना है कि अभियुक्त के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जावे। अभियुक्त को कम सजा से दण्डित किया जावे। अभियुक्त को धारा-457 भा.द.वि. के आरोप में 02 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 500/-रुपये के अर्थदण्ड से तथा धारा-380/511 भा.द.वि. के आरोप में 02 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 500/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को व्यतिक्रम में एक-एक माह का (प्रत्येक धारा में) सश्रम कारावास अतिरिक्त स्वरूप का भुगताया जावे। अभियुक्त को दोनों धाराओं की सजा एक साथ भुगताई जावे।

21— अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि निःशुल्क दी जावे।

22— अभियुक्त का सजा वारंट बनाया जावे।

23— प्रकरण में अभियुक्त दिनांक-20.06.2012 से दिनांक-18.09.2012 तक, दिनांक-26.03.2016 से दिनांक-23.07.2016 तक, 16.10.2017 से निर्णय दिनांक-21.03.2018 तक अभिरक्षा में रहा है। अभियुक्त द्वारा भोगी गई कारावास की अवधि धारा-428 द.प्र.सं. का प्रमाणपत्र बनाकर समायोजित की जावे।

24— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लोहे की पट्टी, एक टूटा हुआ ताला मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किये जावें एवं जप्तशुदा

राशि 420/—रूपये फरियादी को अपील अवधि पश्चात् वापस की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

सही/—
(दिलीप सिंह)

न्यायिक, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला—बालाघाट म.प्र.

सही/—
(दिलीप सिंह)

न्यायिक, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला—बालाघाट म.प्र.

सामान्य जानकारी
(शासकीय / विधिक उपयोग के लिए प्रतिलिपि भेजना)

सामान्य जानकारी
(शासकीय / विधिक उपयोग के लिए प्रतिलिपि भेजना)